उत्तराखण्ड शासन

फोन / फैक्स नं0– 0135–2781201
ईमेलआईडी–info@ukmc.in

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून।

दिनांक 11 नवम्बर, 2025 को प्रातः 11:00 बजे श्रीमती फरजाना बेगम, मा0 उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून की अध्यक्षता में जनपद हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित विकासभवन सभागार में ''जनपदीय विभागीय अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं के विकास कार्यों के मूल्याकंन एवं अनुश्रवण के संबंध में समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त–

दिनाक 11.11.2025, को जनपद हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित विकासभवन सभागार में विभागीय योजनाओं के विकास कार्यो के मूल्याकंन एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक में उपस्थित महानुभाव एवं अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति का विवरणः–

1. श्रीमती फरजना बेगम, मा0 उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
2. श्री नफीस अहमद, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
3. श्री शारिक मलिक, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
4. डॉ0 ललित नारायण मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।
5. श्रीमती नालिनी ध्यानी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, हरिद्वार।
6. श्री गोपाल सिंह भण्डारी, मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार।
7. श्री उत्तम कुमार, महाप्रबन्धक, डी.आई.सी., हरिद्वार।
8. श्री सुशील नौटियाल, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, हरिद्वार।
9. सुश्री इप्सित रावत, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
10. श्री अविनाश भदौरिया, जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
11. श्री अनुज सिंह, निरीक्षक, कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।
12. श्री सजय खंडूरी, ए.एम.ए.जेड.पी. हरिद्वार।
13. श्री हेमचन्द, सहायक जिला.पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार।
14. श्री डी.एस., डीपीओ., केडीएस।
15. श्री सैनी, ई.ई., यू.पी.सी.एल, हरिद्वार।
16. डॉ0 अनिल वर्मा, ए.सी.एम.ओ., हरिद्वार।
17. श्री ओमकार त्रिपाठी, एम.आई।
18. श्री अमरजीत कौर, एस.एन.ए., एन.एन., रूडकी।
19. सुश्री / श्रीमती रेनु बेरिया, मत्सस्य निरीक्षक।
20. श्री अहमद नदीम, डी.आई.ओ.।
21. श्री सुभाष चन्द्र, जे.ई. एनपीपी, मंगलौर।
22. मुहम्मद वसीम, डीईओ, एनपीपी, मंगलौर।
23. श्री अजय मन्यास, एनपीपी. लक्सर।
24. श्री मनोज नेगी, सी.ए.ओ., परिवहन।
25. श्री कपिस कुमार, एलडीएमओ.।
26. श्री विकास कुमार, एडीओ, के.वी0आईबी।
27. श्री एम.सी.मैठानी, सीएओई, शिक्षा विभाग।
28. श्री अरूण सैनी, पूर्ति निरीक्षक।
29. श्री अर्जुन कुमार, जे.ए.।
30. सुश्री / श्रीमती वर्षा, ए.ई.।
31. श्री बी.एस. पासवान, ए.ई.।
32. श्री तनुज लोहनी, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
33. श्री बोबी कुमार, सहा.अ.क.अधि.हरिद्वार।
34. श्री मलिक मुहम्मद, डी.आई.ओ., कार्यालय जि.अ.क.अधि.हरिद्वार।
35. श्रीमती नेहा सिद्दीकी, क्लर्क, कार्यालय जिला अ.क.अधि.हरिद्वार।
36. श्री जे.एस.रावत, सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
37. श्रीमती शमा प्रवीन, वैयक्तिक सहायक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।

सर्वप्रथम मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार द्वारा मा0 उपाध्यक्ष, श्रीमती फरजाना बेगम व मा0 सदस्य

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

गण श्री नफीस अहमद एवं श्री शारिक मलिक, उत्तराखण्ड अल्पसख्यक आयोग का स्वागत व अभिनन्दन किया गया। तत्पश्चात् मा0 उपाध्यक्ष महोदया की आज्ञानुसार समीक्षा बैठक का सुभारम्भ करते हुए बैठक में उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार की उपस्थिति मे समस्त अधिकारी/कर्मचारीगणो का परिचय प्रारम्भ किया गया। इसके उपरान्त मा0 आयोग बैठक मे उपस्थित समस्त महानुभाव, अधिकारियों व कर्मचारियों का स्वागत करते हुए बैठक मे अनुपस्थित विभागों के सबधित अधिकारियो के समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर नाराज़गी व्यक्त की गयी, जिस पर सुश्री इप्सिता रावत, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अनुपस्थित अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने व एक अवसर प्रदान किये जाने का विनम्र अनुरोध किया गया तथा भविष्य में होने वाली मा0 आयोग की बैठक मे सभी अधिकारियों की पूर्णतः उपस्थिति एवं सूचनाओं सहित प्रतिभाग किये जाने से भी अवगत कराया। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, हरिद्वार से अपेक्षा है कि भविष्य में उक्त स्थिति की पुनर्रावृत्ति न होने पावे।

(कार्यवाही जिलाधिकारी, हरिद्वार/मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार/जिला अ0क0अधि0हरिद्वार)

बैठक मे विकास विभाग से सबंधित योजनाओं की चर्चा हेतु मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गयी, जबकि विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की कोई जानकारी नहीं दी गयी। मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार से अपेक्षा है कि विकास विभाग से संबंधित सम्पूर्ण योजनाओं में अल्पसंख्यकों को लाभान्वित किये जाने का विवरण/सूची तत्काल मा0 आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार)

पुलिस विभाग की ओर से वरिष्ठतम् अधिकारी उपस्थित नहीं हुए, उनके स्थान पर निरीक्षक उपस्थित हुए, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 आयोग के स्तर से प्राप्त शिकायती प्रकरणों में से आठ शिकायती प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है तथा नौ शिकायतें गतिमान है। इसके अतिरिक्त गौकशी के लगभग 106 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें से 100 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है तथा 19 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार से अपेक्षा है कि संबंधित गतिमान मामलों/प्रकरणों में तत्काल नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही कर समाधान कराने के साथ ही उक्त वांछित सूचना मा0 आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा साथ ही मा0 आयोग की गरिमा के अनुसार भविष्य में वरिष्ठतम् भिज्ञ अधिकारियों को ही बैठक में प्रतिभाग करने हेतु नामित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार)

बैठक में पशुपालन विभाग से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग के अन्तर्गत संचालित ब्रायलर फार्म स्थापित संबंधी योजना में वर्ष 2022–23 में 8, वित्तीय वर्ष 2023–24 में 30 तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 19 अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार Goat Vally योजना में वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 51 अल्पसंख्यक समुदाय को लाभान्वित किया गया तथा मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजनान्तर्गत वर्ष 2024–25 में अल्पसंख्यक समुदाय के 21 व्यक्तियों के आवेदन पत्रों के क्रम में कार्यवाही कर लाभान्वित किया गया है। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अधिक से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही पशुपालन विभाग, हरिद्वार)

तत्पश्चात् बैठक में उपस्थित समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, जिला पंचायत, जल संस्थान, अर्थ एवं सांख्याधिकारी विभाग, बाल विकास विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, जिला उद्योग विभाग, अग्रणी बैंक, श्रम विभाग, नगर निगम, मंगलौर, नगरपालिका लक्सर, दुग्ध विकास विभाग, मतस्य विभाग, विद्युत विभाग, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग तथा हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा की गयी, किन्तु सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विभाग द्वारा पृथक से अल्पसंख्यकों हेतु कोई योजना संचालित नहीं है, जबकि मा0 आयोग द्वारा प्रेषित पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया था कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, इसाई, जैन, बौद्ध, पारसी) के व्यक्तियों के भी आवेदन प्राप्त हुए होगें तथा आवेदन के क्रम में विभाग द्वारा लाभान्वित भी किया गया होगा, से संबंधित सूची/विवरण उपलब्ध कराया जाना था, जो कि नहीं कराया गया, जिस पर मा0 आयोग द्वारा अत्यन्त नाराज़गी व्यक्त की गयी, जिसके क्रम में समस्त विभागों द्वारा उक्त वांछित सूचना मा0 आयोग को उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया गया। साथ ही बैठक में कतिपय विभागों द्वारा कनिष्ठतम् अधिकारी को नामित किया गया है, जिनके द्वारा कोई सन्तोषजनक उत्तर नही दिया गया। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, हरिद्वार से अपेक्षा है कि उक्त वांछित सूचना मा0 आयोग को तत्काल उपलब्ध कराये जाने तथा भविष्य में मा0 आयोग की बैठक में जनपदीय अधिकारी को स्वयं वांछित सूचनाओं सहित प्रतिभाग किये जाने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही जिलाधिकारी, हरिद्वार/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरिद्वार)

क्रमशः पृष्ठ 3 पर..............

उक्त के अतिरिक्त मा0 आयोग द्वारा समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का लाभ प्रदेश के अन्तिम छोर के पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाये जाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा व्यक्ति को बार–बार कार्यालय के चक्कर न कटवाये जायें, सभी औपचारिकताएं एक बार में ही सरलता से बताई व समझाई जायें। साथ ही अल्पसंख्यक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास एवं विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करते हुऐ शैक्षणिक विकास एवं शिक्षा को बढ़ावा देने में अपना सहयोग प्रदान करें ताकि आम जनमानस व अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को निराश होकर आयोग में अपनी शिकायत प्रस्तुत न करनी पड़े।

अंत में मा0 आयोग द्वारा बैठक में समस्त प्रतिभागियों का सधन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त की गयी।

(फरजाना बेगम)
उपाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
देहरादून।

कार्यालय–उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून

पत्रांक 522 **/उ0अ0स0/08–समीक्षा बैठक–कार्यवृत्त/2025–26 दिनांक** 13 **नवम्बर, 2025**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।
6. मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।
7. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरिद्वार को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार समस्त बैठक में प्रतिभागियों एवं जनपदीय स्तरीय अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
8. संबंधित पत्रावली।
9. गार्ड पत्रावली।

उपाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
देहरादून।